टी०ए० मिस केस सं० 180/2018-19

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक **चोकरो बानरा,पिता– स्व० जामदार देवगम,** निवासी ग्राम–**बासा टोन्टो,** थाना– मुफफसिल, जिला– पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा– **टोन्टो,** थाना नं०– **650,**के अन्दर खाता नं०– **40,** प्लॉट नं०–**2462** , रकबा– **0.05** डी० भूमि क्रेता **रामराई जारिका, पिता–श्री डोरसोना जारिका,** निवासी ग्राम–**केन्दुलोटा,** थाना– **मुफ्फसिल चाईबासा** के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दारत्तावेज प्रस्तुत किया गया। दारत्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि **आवेदक के दादा के नाम से दर्ज है।** आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक–65, दिनांक– **23.1.2019** एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मकान निर्माण हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू–खण्ड को क्रेता **रामराई जारिका, पिता–श्री डोरसोना जारिका,** निवासी ग्राम–**केन्दुलोटा** ,थाना– मुफफसिल **चाईबासा** के पास 77,000.00/– (सतहतर हजार) में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों **मुफ्फसिल** थाना के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का बिक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है। उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष **3.20** एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू–सम्पति समुचित है। अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में विक्रेता **चोकरो** बानरा,पिता– **स्व० जामदार देवगम,** निवासी ग्राम–**बासा टोन्टो,** थाना– **मुफ्फसिल,** क्रेता **रामराई जारिका, पिता–श्री डोरसोना जारिका,** निवासी ग्राम–केन्दुलोटा थाना– **मुफ्फसिल चाईबासा** के पास जमीन को कुल **77,000.00/–** (चतहतर हजार) में मौजा– **टोन्टो,** थाना नं०– **650,**के अन्दर खाता नं०– 40, प्लॉट नं०–2462 , रकबा– 0. **05** डी० जमीन को विक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ए) के अन्तर्गत विक्री द्वारा हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी जाती है। लेखापित 05.02.2019 भूमि सुधार उपसमाहर्ता सदर चाईबासा। 05.02.2019 भूमि सुधार उपसमाहर्ता सदर चाईबासा।	

Scanned with CamScanner